COLLEGE OF AGRICULTURE
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
BHUSAWAR-BHARATPUR 321406, RAJASTHAN
कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
भुसावर, भरतपुर– 321406 राजस्थान

Dr. M.L. Meena
Dean

+91-9414846306
dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांकःप.( )/कृमविभु/फार्म/2026/53 दिनांकः 17/04/2026

सीमित नीलामी – सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर) के कलमी बाग में आम, कटहल, लसोडा, जामुन, चीकू एवं बेलपत्र पेडों में फलत है। इन पेड़ों के फलों की नीलामी जो है जैसे है के आधार पर की जानी है। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 23.04.2026 को प्रातः 11:00 बजे कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर (कलमी बाग) पर मौके पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। धरोहर राशि जमा कराने वाले बोलीदाता ही नीलामी में भाग ले सकेगें। नीलामी सूचना को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत है।

नीलामी से सम्बन्धित शर्तें एवं कार्य जानकारी महाविद्यालय से कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते है या www.sknau.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/...।
4. कृषि महाविद्यालय, भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. तहसील कार्यालय व पंचायत समिति भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
6. रक्षित फाइल

अधिष्ठाता

COLLEGE OF AGRICULTURE
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
BHUSAWAR-BHARATPUR 321406, RAJASTHAN
कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
भुसावर, भरतपुर– 321406 राजस्थान

Dr. M.L. Meena
Dean

+91-9414846306
dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांकःप.( )/कृमविभु/फार्म/2026/53 दिनांकः 17/04/2026

<u>नीलामी – सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर, मे आम, कटहल, लसोडा, जामुन, बेलपत्र एवं चीकू फलों की नीलामी की जानी है।

नीलामी स्थानः– कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर (कलमी बाग)

नीलामी की दिनांक :– 11.04.2026 (गुरूवार)

समयः– प्रातः 11:00 बजे से।

नीलामी सम्बन्धी शर्तो का विवरणः–

1. फलों की नीलामी जो है जैसा पर आधारित है, अतः बोलीदाता बोली से पूर्व इनका निरीक्षण कर लेवें।
2. प्रत्येक बोलीदाता को बोली लगाने से पहले रूपये 5000/–(अक्षरें रूपये पॉच हजार मात्र) धरोहर राशि जमा करवानी होगी। जिस बोलीदाता के नाम अंतिम बोली छूटेगी उसकी धरोहर राशि सिक्यूरिटी राशि के रूप में जमा कर ली जायेगी। अन्य बोलीदाताओ की धरोहर राशि उसी दिन बोली पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी।
3. नीलामी मे भाग लेने का अधिकार केवल धरोहर राशि जमा करवाने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं का ही होगा। अंतिम बोली को छोडने या नही छोडने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
4. बोली छूटने के बाद सफल बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण राशि दो दिवस में कार्यालय में जमा करवानी होगी व उसके पश्चात् ही फलों को ले जा सकेगा।
5. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह अन्य व्यक्ति को ठेका (Sub-let) नही दे सकेगा।
6. बोली छूंटने के बाद 20.07.2026 तक उपरोक्त उत्पादो पर सफल बोलीदाता का अधिकार होगा।
7. उपरोक्त उत्पाद को फार्म से बाहर ले जाते समय फार्म मैनेजर से गेटपास लेना जरूरी होगा।
8. प्राकृतिक आपदा (ऑधी, तूफान, बारिश, ओले, पाला आदि) की स्थिति होने पर फलोत्पादन में होने वाली मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी की महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. फलों की तुडाई, परिवहन कार्य आदि के दौरान किसी भी श्रमिक का अंग भंग होने, घायल होने या अन्य घटना होने की स्थिति में ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
10. फलो की तुडाई /बेचान कार्य दिवस एवं कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे में फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर की देखरेख में करनी होगी।
11. पेडों में सिचांई, थाला बनाने तथा अन्य रख–रखाव करने की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।

12. प्रशासन की पूर्वानुमति से सुखे एवं अनुउत्पादक पौधो को काटा जा सकता है, निविदा के समय ऐसे पौधो को शामिल नही किया गया है, अतः ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे की मांग नही कर सकता है।
13. नीलामी में फलन (उत्पादन) वाले पौधो को ही शामिल किया गया है।
14. सफल निविदादाता को बगीचे मे लगने वाले खाद, उर्वरक (फॅफूदनाशी व पेस्टीसाइड) रोग लगने के परीक्षण उपरान्त ही दवाई दी जायेगी तथा इनको पौधो में देने का कार्य निविदादाता करेगा।
15. सफल निविदादाता आम, कटहल, लसोडा, जामुन, बेलपत्र एवं चीकू के बगीचो की चौकीदारी स्वयं करेगा तथा बगीचे में की जाने वाली फसलों की चौकीदारी भी निविदादाता की होगी।
16. सफल निविदादाता को 100/— रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा।
17. बगीचों में लगे पौधों मे किसी भी प्रकार की क्षति नही होनी चाहिए, यदि क्षति होगी तो निविदादाता को कमेटी द्वारा तय जुर्माना देना पडेगा।
18. महाविद्यालय फार्म पर कॉलेज भवन, हॉस्टल सहित अन्य भवन, फार्म उपकरण, फार्म पर लगाये गये पौधे व नर्सरी पौधो तथा अन्य कीमती सामान है। सफल बोलीदाता उसके कर्मचारी आदि से इनको किसी भी प्रकार की क्षति होगी तो कार्यालय द्वारा तय जुर्माना उसे देना होगा।
19. यदि निविदादाता महाविद्यालय के संसाधन जैसे बिजली मोटर, फार्म उपकरण, पाइप, स्प्रेयर आदि का उपयोग करता है तो उन सभी के रखरखाव व सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं रिपेरिंग का खर्च निविदादाता स्वंय वहन करेगा।
20. निविदादाता स्वंय या उसके कर्मचारी परिसर में अवांक्षित या गैरकानूनी कार्य नहीं करें और न ही किसी अन्य को करने दें।
21. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर नीलामी निरस्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है एवं कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
22. हर विवादित मामलें में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

अधिष्ठाता